भारत सरकार

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

भारी उद्योग विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2371

जिसका उत्तर मंगलवार 2 जनवरी, 2018 को दिया जाना है

सीपीएसयू की अतिरिक्त भूमि

2371. श्री एम.चन्द्राकाशी:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा बिक्री हेतु निर्मुक्त की गई अतिरिक्त भूमि का ब्यौरा क्या है और उनके द्वारा विगत पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष कितनी धनराशि वसूल की गई है;

(ख) क्या कम्पनियों के वित्तीय कार्य-निष्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए अतिरिक्त भूमि-क्षेत्र की बिक्री अनुमत्य है;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान सरकारी उपक्रम विभाग द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार सीपीएसयू द्वारा प्रत्येक भूमि का निपटारा किया गया था और अन्य औपचारिकताओं को पूरा कर लिया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सीपीएसयू द्वारा अतिरिक्त भूमि के निपटारे संबंधी प्रक्रिया के दुरुपयोग के विरुद्ध प्रणाली में सुरक्षोपायों की पर्याप्तता संबंधी मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

उत्तर

भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री

(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क): जहां तक भारी उद्योग विभाग (डीएचआई) का संबंध है, इसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के किसी भी उद्यम (सीपीएसई) ने बिक्री योग्य ऐसी अधिशेष भूमि की सूचना नहीं दी है।

तथापि, बंद किए जाने के लिए अनुमोदित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों यथा - एचएमटी वाचेज लिमिटेड, एचएमटी बेयरिंग्स लिमिटेड, हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड (एचसीएल), तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड (टीएसपीएल) और इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड की कोटा इकाई की भूमि के निपटान के लिए एनबीसीसी (इंडिया लिमिटेड) को भू-प्रबंधन अभिकरण (एलएमए) के रूप में नियुक्त किया गया है।

एचएमटी चिनार वाचेज लिमिटेड; एक अन्य कंपनी जिसे बंद किया जाना अनुमोदित किया जा चुका है, की भूमि को पट्टा विलेख की शर्तों के अनुसार जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार को पहले ही अंतरित किया जा चुका है।

(ख): भारी उद्योग विभाग ने ऐसे कोई दिशानिर्देश/अधिसूचना जारी नहीं की है। तथापि, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की भूमि की बिक्री/अंतरण का निर्णय, सामान्यतः सरकार के पूर्वानुमोदन के अध्यधीन है।

(ग): उपर्युक्त पैरा (क) में उल्लिखित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की भूमि और अन्य परिसंपत्तियों का निपटान लोक उद्यम विभाग द्वारा 7 सितंबर, 2016 को निर्धारित किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार एनबीसीसी द्वारा किया जा रहा है।

(घ): उपर्युक्त पैरा (क) को देखते हुए लागू नहीं होता।

*****